संख्या- 49/उन्तीस/06-2(15पे0)/2005

प्रेषक,

कुंवर सिंह
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

पेयजल अनुभाग- 2 देहरादून:दिनांक:25 जनवरी, 2006

विषय:वित्तीय वर्ष 2005-06 में जिला सैक्टर के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार/पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तरांचल जल संस्थान के पत्रांक 4913/ वि0 अनु0अनुदान/2005-06, दिनांक 07 जनवरी ,2006 के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या 90/उन्तीस/05-2(14पे0)/2005, दिनांक 25 जून, 2005 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार/पुनर्गठन /सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नवत जनपदवार विवरणानुसार रू0 1411.81 लाख (रू0 चौदह करोड़ ग्यारह लाख इक्यासी हजार मात्र) की धनराशि जिसमें से रू0 588.00 (रू0 पाँच करोड़ अट्ठासी लाख) संगत मद से एवं रू0 823.81 लाख (रू0 आठ करोड़ तेईस लाख इक्यासी हजार) संलग्न बी0एम0-15 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोजन द्वारा जिला योजनान्तर्गत कार्यों पर व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	परिव्यय	पूर्व स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	देहरादून	266.71	134.00	132.71
2	पौड़ी	340.00	170.00	170.00
3	चमोली	179.30	90.00	89.30
4	रुद्रप्रयाग	165.20	83.00	82.20
5	टिहरी	302.00	151.00	151.00
6	उत्तरकाशी	255.00	127.00	128.00
7	हरिद्वार	138.20	69.00	69.20
8	नैनीताल	165.00	83.00	82.00
9	ऊधमसिंह नगर	203.50	101.00	102.50
10	अल्मोड़ा	190.00	95.00	95.00
11	बागेश्वर	176.00	88.000	88.00
12	पिथौरागढ़	250.00	125.00	125.00
13	चम्पावत	192.90	96.00	96.90
	योग-	2823.81	1412.00	1411.81

2– स्वीकृत धनराशि उत्तरांचल जलसंस्थान के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/ नोडल अधिकारी (सम्बन्धित जनपद) के हस्ताक्षर तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी, के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल सम्बन्धित जनपद के कोषागार में प्रस्तुत कर वास्तविक आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी। आहरण के तुरन्त उपरान्त बिल वाउचर संख्या एवं दिनांक शासन एंव महालेखाकार को उपलब्ध कराई जाय।

3– स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो पर किया जायेगा जिनके लिए जनपद की जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो तथा अनुमोदित परिव्यय के अन्तर्गत हो। स्वीकृत धनराशि ऐसे कार्यो पर कदापि व्यय न की जाय जिनके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति नही है अथवा जो विवाद ग्रस्त हों। दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुनर्स्थापना/ पुनर्गठन हेतु वित्त पोषण यदि दैवीय आपदा से हो गया हो तो क्षतिग्रस्त योजनाओं में प्राविधानित धनराशि का उपयोग अन्य योजनाओं के सुदृढ़ीकरण पर किया जायेगा।

4– उक्त धनराशि इस शर्त के अधीन स्वीकृत की जा रही है कि उक्त धनराशि से प्रथमतया 75 प्रतिशत से अधिक पूर्ण योजना, द्वितीय 50 प्रतिशत या उससे अधिक पूर्ण योजना एवं तृतीय 25 प्रतिशत से अधिक पूर्ण योजना पर व्यय की जायेगी एवं कोई भी अधूरी योजना न रहने की स्थिति में नयी योजना में धनराशि व्यय की जायेगी ।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2006 तक सुनिश्चित कर लिया जाय और पूर्व स्वीकृत तथा इस धनराशि के विपरीत कार्यो की वित्तीय भौतिक प्रगति का विवरण मासिक रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि कोई धनराशि दिनांक 31.03.06 तक अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

6– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल फाईनेन्शियल हैण्डबुक अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों एव विस्तृत आगणनों पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के साथ–साथ सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7. निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय गुणवत्ता से सम्बन्धित सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का ही होगा ।

8– उक्त धनराशि का आहरण विगत वर्ष उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि के 80 प्रतिशत के उपयोग के उपरान्त ही किया जायेगा। आहरण के पूर्व इसकी सूचना शासन को दे दी जायेगी।

क्रमश..3

9— यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जनपदवार उन्हीं योजनाओं पर व्यय किया जाय जो जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित हो और जनपदवार प्लान परिव्यय के अनुसार ही हो।

10— उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005—06 में अनुदान सं0—13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2215—जलपूर्ति तथा सफाई—01—जलपूर्ति—आयोजनागत —102—ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम—91—जिलायोजना—02— ग्रामीण पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं का जीर्णोद्धार —20—सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता के नामे" डाला जायेगा।

11— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0 113/XXXVII—(2)/2006 दिनांक— 20जनवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या— 49 /(2)/उन्तीस/06—2—(15पे0)/2005,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— महालेखाकार, उत्तरांचल,देहरादून।
2— मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूँ, पौड़ी/नैनीताल।
3— मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून ।
4— महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, पौड़ी/नैनीताल ।
5— कोषाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तरांचल ।
6— अध्यक्ष, उत्तरांचल जल संस्थान ,देहरादून ।
7— प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून ।
8— वित्त अनुभाग—2/वित्त (बजट सेल)/ नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
9— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री ।
10— स्टाफ ऑफिसर—मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
10— निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11— निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून ।

आज्ञा से

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

...-15 पुनर्विनियोग–2005–06

नियन्त्रक अधिकारी - उत्तरांचल जल संस्थान
प्रशासनिक विभाग – पेयजल विभाग, उत्तरांचल शासन ।

(रु0 हजार में)

प्राविधान तथा लेखाशीर्षक	मानक मदवार आवश्यकीय स्थिति	वित्तीय वर्ष के अवशेष अवधि अनुमानित व्यय	अवशेष(समर्पण)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2215–जलपूर्ति तथा सफाई				2215–जलपूर्ति तथा सफाई			(क) उक्त के सापेक्ष व्यय न होने से बचत हुई है। (ख) उक्त योजना में अब तक स्वीकृत धन से व्यय अपरिहार्य हुआ है।
01–जलपूर्ति–आयोजनागत				01–जलपूर्ति–आयोजनागत			
102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम				102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				91– जिला योजना 02–ग्रामीण पेयजल तथा स्वच्छता योजनाओं का सौन्दर्यीकरण			
07–स्वजलधारा कार्यक्रम (90 प्रतिशत केन्द्र पोषित)				20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता			
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता 90000	–	–	90000(क)	82381(ख)	262381	7619	
योग– 90000	–	–	90000	82381	262381	7619	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

(सुबर सिंह)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या: 113 (क)/वित्त अनु0–3/2006
देहरादून : दिनांक 20 जनवरी 2006

पुनर्विनियोग स्वीकृत
(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव वित्त

सेवा में
महालेखाकार,
उत्तरांचल, देहरादून ।

संख्या 49 (1)/पेयजल/04–3–(15/05)/2005, तद् दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1–कोषाधिकारी,देहरादून । 2. वित्त अनुभाग–2
3–जिलाधिकारी,देहरादून ।

आज्ञा से,